परि.शि.(7/2019) 1

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1606


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
पिन- 482002
दूरभाष : +91 761 2624100 (का.)
+91 761 2603333 (नि.)
फैक्स : +91 761 2624200 (का.)
E-mail : dmjabalpur@mp.gov.in
Website : www.jabalpur.nic.in



Office of the Collector & District Magistrate
District Jabalpur, Madhya Pradesh, India
Pin - 482 002
Phone : +91 761 2624100 (O)
+91 761 2603333 (R)
Fax : +91 761 2624200
E-mail : dmjabalpur@mp.gov.in
Website : www.jabalpur.nic.in


क्रमांक/ 1259 /शिका./जॉच/पि.व.अ.क.वि./2019 जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

विषय:–श्रीमती जे.एस.विल्सन तत्कालीन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जबलपुर द्वारा पो.मै. छात्रवृत्ति की मद राशि को अन्य मद में व्यय कर गबंन किये जाने के संबंध में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने बावत्।

सन्दर्भ:–श्री विशाल बागरी छात्रनेता एवं समाजसेवी निवासी–2132, पी.एच.ई. आफिस, बेदीनगर गढ़ा जबलपुर का आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा श्रीमती जे.एस.विल्सन तत्कालीन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जबलपुर द्वारा पो.मै. छात्रवृत्ति की मद राशि को अन्य मद में व्यय कर गबन कर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु लिखा गया है ।

उक्त शिकायत के संबंध में कार्यालय अभिलेख के आधार पर तत्कालीन सहायक संचालक श्रीमती जे.एस.विल्सन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत अंजुमन इस्लामिया उच्च. माध्य. स्कूल जबलपुर को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई थी। प्रदान की गई राशि में से अवितरित राशि रू. 26,336/– कार्यालय को वापस करने हेतु पत्र कमांक 600 दिनांक 18.04.2016 द्वारा अंजुमन इस्लामिया स्कूल को लिखा गया था । प्राचार्य अंजुमन इस्लामिया स्कूल गोहलपुर जबलपुर द्वारा चैक कमांक 024478 दिनांक 24/08/15 को राशि रू. 26,336/– तत्कालीन सहायक संचालक श्रीमती जे.एस. विल्सन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जबलपुर को सौंपी गई थी। परन्तु उक्त चैक पुनः प्राचार्य अंजुमन इस्लामिया स्कूल गोहलपुर जबलपुर को वापस करते हुये पुनरीक्षित चैक 024483 दिनांक 21.04.2016 राशि 26,336/– जारी किया गया था । तत्कालीन सहायक संचालक महोदय द्वारा प्राप्त चैक कार्यालय की कैशबुक में दर्ज न करते हुये सीधे अन्य मद में खर्च किया गया। जिसकी पुष्टि कार्यालय की कैशबुक दिनांक 21.04.2016 से स्पष्ट होती है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्राचार्य अंजुमन इस्लामिया स्कूल गोहलपुर जबलपुर को इण्डियन बैंक जबलपुर के द्वारा जारी बैंक खाता कमांक 468443600 के स्टेटमेन्ट से स्पष्ट होता है । जिसमे दर्शाया गया है कि उक्त चैक कमांक 024483 दिनांक 21.04.2016 की राशि पोद्दार टायर कम्पनी को भुगतान किया गया है। इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि कार्यालय में शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो श्रीमती विल्सन द्वारा किस आधार पर टायर कय किये गये।

कमशः –2

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1606


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
पिन- 482002
दूरभाष : +91 761 2624100 (का.)
+91 761 2603333 (नि.)
फैक्स : +91 761 2624200 (का.)
E-mail dmjabalpur@mp.gov.in
Website www.jabalpur.nic.in

Office of the Collector & District Magistrate
District Jabalpur, Madhya Pradesh, India
Pin - 482 002
Phone : +91 761 2624100 (O)
+91 761 2603333 (R)
Fax : +91 761 2624200
E-mail : dmjabalpur@mp.gov.in
Website : www.jabalpur.nic.in




उपरोक्त स्थिति प्राचार्य अंजुमन इस्लामिया स्कूल गोहलपुर जबलपुर के पत्र कमांकAIG/3206/19 दिनांक 26.06.2019 से स्पष्ट होती है सन्दर्भित पत्र एवं अन्य अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त संबंध में लेख है कि कार्यालय में शासकीय वाहन न होते हुये भी तत्कालीन सहायक संचालक महोदय द्वारा टायर क्रय किस आधार पर किया गया। यहाँ जाँच का विषय होने के कारण उक्त प्रकरण में विस्तृत जाँच करते हुये तत्कालीन सहायक संचालक श्रीमती जे.एस.विल्सन के विरूद्व प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करे।

संलग्नः—उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति ।

28/06/19
कलेक्टर
जिला—जबलपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/1260/शिका./जॉच/पि.व.अ.क.वि./2019 जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28/06/19
कलेक्टर
जिला—जबलपुर (म.प्र.)